



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 04.12.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ आपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप अलग-अलग 07 मामलों में कुल 11 अभियुक्तों को 16000/ रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित ।

विवरण- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान आपरेशन कन्विक्शन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में अलग-अलग 07 मामलों में कुल 11 अभियुक्तों को 16000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना मटौन्ध पर पंजीकृत मु0अ0सं0-127/21 धारा 279/337/338/427 भादवि के अभियुक्त जगदीश पुत्र राम खेलावन निवासी लवडा पहाड थाना कबरई जनपद महोबा को कुल 3000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
2. थाना तिन्दवारी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-185/18 धारा 279/337/338 भादवि के अभियुक्त वीरेन्द्र पुत्र रामकृपाल निवासी जारी थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा को 2500/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
3. थाना बबेरु पर पंजीकृत मु0अ0सं0-203/08 धारा 379/411 भादवि के अभियुक्त राजबहादुर पुत्र हरछट निवासी गौरीखान पुर थाना बबेरु जनपद बांदा को 1000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
4. थाना बबेरु पर पंजीकृत मु0अ0सं0-(एनसीआर)247/06 धारा 323/504/506 भादवि के अभियुक्त सधुवा पुत्र कामता प्रसाद निवासी पून थाना बबेरु जनपद बांदा को 1000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
5. थाना बबेरु पर पंजीकृत मु0अ0सं0-(एनसीआर) 24/15 धारा 323 भादवि के अभियुक्त रामचन्द्र पुत्र रामसजीवन निवासी अनौसा थाना बबेरु जनपद बांदा को 500/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
6. थाना मरका पर पंजीकृत मु0अ0सं0-38/07 धारा 352/504/506 भादवि के अभियुक्तगण 1. बलदाऊ पुत्र जगदम्बा 2. कल्लू पुत्र मइयादीन निवासीगण अधांव थाना मरका जनपद बांदा को कुल 2000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
7. थाना बबेरु पर पंजीकृत मु0अ0सं0-249/02 धारा 34/324/504/506 भादवि के अभियुक्तगण 1. भइयालाल 2. सुरेश पुत्रगण घर्मपाल 3. कामता 4. सुमन पुत्रगण शिवमोहन निवासीगण थाना बबेरु जनपद बांदा को कुल 6000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।